भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 710

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

710. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बड़ी संख्या में पात्र जनजातीय परिवारों को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और अन्य प्रचलित प्रावधानों के तहत अभी तक भूमि पट्टों का लाभ नहीं मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पात्र जनजातीय परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के तहत समयबद्ध तरीके से भूमि पट्टे प्रदान करने तथा लंबित दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखा जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए दावों, स्वीकृत किए गए भूमि पट्टों के वितरण, लंबित मामलों और निरस्त किए गए दावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पात्र जनजातीय परिवारों को भूमि पट्टे मिलने के बाद उन्हें सिंचाई, आवास, कृषि, आजीविका और अन्य विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए कोई समन्वित कार्य योजना लागू कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) से (ग): अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों के विभिन्न उपयोग अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय अपनी आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्रता निर्धारण होने पर, पात्र व्यक्तियों को उपयुक्त पैतृक वन अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हालाँकि, इन अधिकारों को न तो परिवर्तित किया जा सकता है और न ही किसी और को हस्तांरित किया जा सकता है। राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

30.06.2026 तक राज्यों द्वारा सूचित की गई और एमपीआर के अंतर्गत एकत्रित की गई नवीनतम सूचना के अनुसार, कुल 25,42,359 अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें 24,18,197 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) पत्र और 1,24,162 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) पत्र शामिल हैं। 30.06.2026 तक एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्रों का राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक** में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 30.06.2023 से 30.06.2026 तक कुल 8,46,958 दावे दायर किए गए हैं, कुल 2,30,318 दावे अनुमोदित किए गए हैं (अधिकार पत्र वितरित), 11,671 दावों को खारिज (निरस्त) कर दिया गया है और कुल 6,04,969 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राप्त दावों की संख्या (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक), अनुमोदित दावों की संख्या (अधिकार पत्र वितरित), खारिज दावे, पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या, माह वार और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट एफआरए-एमपीआर- https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, एफआरए के विधायी मामलों का संचालन करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, सभी राज्य सरकारों से एफआरए में निहित प्रावधानों का पालन करने का आग्रह करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र दावेदारों को उनके हक के देय अधिकार प्रदान किए जाएं।

(घ) और (ड.) : जैसा कि एफआरए के नियम 16 में निर्धारित किया गया है, राज्य सरकार को अपने विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि भूमि सुधार, भूमि उत्पादकता, बुनियादी सुविधाओं और अन्य आजीविका उपायों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं को ऐसे दावेदारों और समुदायों को प्रदान किया जाए जिनके अधिकारों को एफआरए के तहत मान्यता दी गई है और एफआर के तहत निहित है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए 'धरती-आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एफआरए अधिकार पत्र धारकों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अधिक सुविधा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, लाभार्थी अंशदान को 10 % तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू पीएम-किसान योजना के तहत पात्र एफआरए पट्टा धारकों को कवर किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन अधिकार धारकों को इनका पूरा लाभ मिले।

अनुलग्नक

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में सदंर्भित अनुलग्नक।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 30.06.2026 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्र का राज्य-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	30.06.2026 तक वितरित अधिकार पत्र की संख्या		
		व्यक्तिगत	समुदाय	कुल
1	आंध्र प्रदेश	226,667	1,822	228,489
2	असम	84,861	2,575	87,436
3	बिहार	191	0	191
4	छत्तीसगढ़	481,432	52,636	534,068
5	गोवा	1,250	20	1,270
6	गुजरात	98,732	4,792	103,524
7	हिमाचल प्रदेश	942	156	1,098
8	झारखंड	59,866	2,104	61,970
9	कर्नाटक	15,355	1,345	16,700
10	केरल	29,523	284	29,807
11	मध्य प्रदेश	260,707	28,754	289,461
12	महाराष्ट्र	199,667	8,668	208,335
13	ओडिशा	464,504	9,432	473,936
14	राजस्थान	49,215	2,551	51,766
15	तमिलनाडु	15,442	1,066	16,508
16	तेलंगाना	230,735	721	231,456
17	त्रिपुरा	131,615	65	131,680
18	उत्तर प्रदेश	22,537	893	23,430
19	उत्तराखंड	83	1	84
20	पश्चिम बंगाल	44,444	686	45,130
21	जम्मू एवं कश्मीर	429	5,591	6,020
कुल		**24,18,197**	**1,24,162**	**25,42,359**
